उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5
संख्या– 235 /वि0अनु0–5/स्टाम्प/2003
देहरादूनः दिनांक 15 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा–9 की धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 10,00,000/– (दस लाख) की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देने की सहर्ष सवीकृति प्रदान करते है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संं0– 235(1)/XXVII(5)/स्टाम्प/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन, थार्न हिल रोड़ इलाहाबाद।
4. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
5. न्याय/विधायी अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
अनु सचिव।